

बाल सुरक्षा— पारिवारिक मूल्यों के विकास में अभिभावकों की भूमिका

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति पर आधारित है जिसके अन्तर्गत परम्परागत परिवार के पारिवारिक मूल्यों वर्तमान में बदलते पारिवारिक मूल्यों, बच्चों पर बढ़ते नकारात्मक प्रभाव से उनकी सुरक्षा करना तथा नैतिक मूल्यों और संस्कारी बालक बनाने में अभिभावकों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास है। आज का बालक देश का अच्छा नागरिक बने इसकी कामना हर नागरिक को होती है लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि बालक तभी अच्छा नागरिक बन सकेगा जब परिवार में उसे अच्छा माहौल मिलेगा। अभिभावकों का बालक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है और माता-पिता प्रथम शिक्षिका और शिक्षक होते हैं। आज के समय में उत्कृष्ट अभिभावक बनने में क्या बाधाएँ हैं? बच्चों की अति सुरक्षा का परिणाम क्या होता है? बच्चे आक्रामक क्यों हो जाते हैं? मोबाइल किस प्रकार से बच्चों को हिंसक और बीमार बना रहा है? इन सबकी रोकथाम कैसे की जाए? उत्कृष्ट अभिभावक के गुण जो कि बच्चों में अच्छे संस्कार स्थापित करते हैं आदि महत्वपूर्ण तथ्यों के माध्यम से बाल सुरक्षा हेतु परिवार में अभिभावकों की भूमिका का उल्लेख किया गया है।

मुख्य शब्द : पारिवारिक मूल्य, नैतिक मूल्य, उत्कृष्ट अभिभावक के गुण, उत्कृष्ट अभिभावक बनने में बाधाएँ, बच्चों में आक्रामकता का कारण टी.व्ही.मोबाइल व नेट तथा इंटरनेट का प्रभाव, निराकरण।

प्रस्तावना

बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं, देश के भविष्य हैं तथा हमारी पूंजी हैं। यदि इस कथन को सच साबित करना है तो हमें अपनी धरोहर और भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा है "आज का बालक कल का नागरिक है।" अगर नींव सुदृढ़ होगी तो इमारत भी बुलंद होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस देश के बच्चे जितना स्वस्थ, प्रसन्न और सम्पन्न होंगे वह देश उतना ही उन्नत और खुशहाल होगा। उन्नत और खुशहाल देश की स्थापना में परिवार नामक संस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाज में परिवार एक छोटी इकाई के रूप में कार्य करता है। बच्चा जन्म लेते ही परिवार का सदस्य बन जाता है चाहे परिवार अमीर हो या गरीब हो। समाज में परिवार एक ऐसी संस्था है, जो एक ओर मानव के अस्तित्व की रक्षा करता है तथा दूसरी ओर मानव की सामाजिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते रहता है। परिवार ही परिवार के सदस्यों के सामाजिक धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परिवार का मानव जीवन के लिए कितना महत्व है यह गूढ़, रहस्य किसी से छिपा नहीं है।

समकालीन समाज की सबसे गंभीर समस्या बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति का बढ़ना तथा मानसिक शारीरिक विकास में बाधक होना है। बच्चों में नैतिक मूल्य/पारिवारिक मूल्यों में गिरावट है। इस संबंध में मानसिक रोग चिकित्सक नीलम शुक्ला का कहना है कि आज बच्चों में डिप्रेशन

एलिजाबेथ भगत

सहायक प्राध्यापक,
समाजशास्त्र,
शास.शिवनाथ विज्ञान
महाविद्यालय,
श्राजनांदगांव, छ.ग.

Anthology : The Research

(अवसाद) तीव्रगति से बढ़ रहा है। बच्चों पर अभिभावकों/माता-पिता की अपेक्षाओं का बोझ इतना है कि वे इनके दबाव में कम उम्र में ही डिप्रेशन का शिकार होने लगे हैं। जैसे:- लगातार गुमसुम रहना, पढ़ाई में रुचि कम हो जाना, बातों-बातों में गुस्सा आना, सुस्त हो जाना, ठीक से खाना नहीं खाना आदि। बच्चों में तनाव के बढ़ते मामलों के लिए कहीं न कहीं माता-पिता/अभिभावक भी जिम्मेदार हैं। अतः बच्चे क्यों डिप्रेशन (अवसाद) में हैं? उनमें आक्रमकता क्यों बढ़ रही है? और उन्हें इससे कैसे बचाया जाए? यह समस्या वर्तमान परिवार में अभिभावकों की सबसे बड़ी चुनौती है। इसी कारण इस शोध पत्र में इस मुद्दे को गंभीरता से रखा गया है।³

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य है- देश के लिए अच्छे नागरिक तैयार करने में माता-पिता/अभिभावकों की भूमिका को ज्ञात करना।

विषय का महत्व

आज औद्योगिकरण, नगरीकरण, शहरीकरण तथा व्यक्तिवादिता आदि अनेक दबावों के कारण परिवार टूट कर बिखर रहे हैं। टूटने की इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा आहत और उपेक्षित बाल मन होता है। चाहे वह संयुक्त परिवार हो या एकल परिवार। इससे सामाजिक सुरक्षा का परम्परागत ढाँचा (संयुक्त परिवार) अर्थहीन होता जा रहा है। नया ढाँचा (एकल परिवार) का जो स्वरूप उभर रहा है उसमें कोई सहजता नहीं है। यदि परिवार के सदस्य बदली हुई परिस्थिति से अपना ताल-मेल बिठा लेंगे तो उनमें सहिष्णुता का सहज विकास होगा। परिवार एक औपचारिक संस्था ना होकर भावनात्मक रूप से बरकरार रहेगा तथा परिवार का विघटन/बिखराव रुकेगा।⁴ आज बाल सुरक्षा हेतु परिवार को टूटने से बचाना आवश्यक हो गया है क्योंकि यदि इस पर गौर करें तो पता चलता है कि आज परिवार की संरचना, कार्य, मूल्य एवं उसके महत्व एवं आवश्यकताओं में आमूल-चूल परिवर्तन हो रहे हैं। इस कारण वर्तमान में परिवारिक उष्मा का महत्व कम होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि परिवार के अनेक कार्यों को जिनके कारण परिवार की महत्ता बढ़ी थी उस कार्य को आज समाज की अनेक संस्थाओं के द्वारा कराया जा रहा है, जैसे:- बच्चों का पालन-पोषण तथा देख-भाल, सामाजिक सुरक्षा तथा मनोरंजन आदि। जिसके द्वारा परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ अपनापन, लगाव तथा पारिवारिक उष्मा के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते थे। लेकिन आज बढ़ती जनसंख्या, महिला शिक्षा, यातायात के बढ़ते साधन, औद्योगिकरण, नगरीकरण के साथ-साथ सूचना क्रांति

के अन्तर्गत टी.वी., मोबाइल, इंटरनेट आदि पारिवारिक एकता को आन्तरिक रूप से खोखला कर रहा है। बच्चे आज मोबाइल की गिरफ्त में बीमार और हिंसक बन रहे हैं। इस संबंध में जाने-माने डॉक्टर, डॉ. रोहित (मनोचिकित्सक, एम्स) डॉ. पिंटू अट्टावर (ग्लेन ईगल ग्लोबल हेल्थ सिटी चेन्नई) डॉ. भावना शर्मा (एम.एस.एस.हॉस्पिटल जयपुर) डॉ. दीपक उगरा (लीलावती हॉस्पिटल मुंबई) का कहना है कि पिछले 9 महीने में बच्चों के साथ दुष्कर्म के 5 मामले दर्ज हुए जिसके आरोपी नाबालिग हैं। इसकी वजह है बच्चे अपना ज्यादातर समय आज मोबाइल पर बिता रहे हैं इस कारण उनके व्यवहार में बदलाव आना स्वभाविक है। पढ़ाई और खेल के प्रदर्शन में गिरावट आ रही है, अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं। क्योंकि बच्चों का कपाल/मस्तिष्क वयस्क लोगों की तुलना में नाजुक होता है। इसलिए रेडिएशन का असर भी बढ़ जाता है। अधिक से अधिक बच्चे डिप्रेशन के मरीज बन रहे हैं। रिसर्च के अनुसार ये निष्कर्ष प्राप्त है कि यदि 2 वर्ष से छोटे बच्चों को माता-पिता मोबाइल पर वीडियो चलाकर दे देते हैं तो वे देरी से बोलना सीखते हैं। अगर वे रोज 30 मिनट वीडियो देख रहे हैं तो बोलने की समस्या का खतरा 49% बढ़ जाता है। बच्चों में बड़ों की तरह ड्राई आईज, हाइपर एक्टिव बिहेवियर जैसे दिक्कतें आ रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोजर ज्यादा होने से वे ब्लैकमेलिंग सीख जाते हैं। एक और अध्ययन के अनुसार 2 घंटे से ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताने वाले बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। न्यूरो संबंधी बीमारियों वाले प्रतिदिन 3-4 बच्चे आ रहे हैं। 5-10 वर्ष के बच्चों जिन्हें रात में अचानक डर लगने लगता है ये वे बच्चे हैं जो मोबाइल गेम्स के एडिक्ट हैं। वे नींद में भी गेम फॉलो करते हैं। वहीं 10-17 वर्ष की उम्र वाले बच्चों में डिप्रेशन-माइग्रेन के लक्षण दिख रहे हैं। अमेरिकी-यूरोपीय देशों की अलग-अलग सर्वे रिपोर्ट्स के अनुसार 2017 में केवल मोबाइल के जरिए टीनएजर्स के बीच सेक्सुअल क्राइम के केस 300% तक बढ़े हैं। भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध के केस 21% तक बढ़े हैं। 12% टीनएजर्स ने स्वीकार किया है कि वे अभिभावकों से मोबाइल गतिविधियाँ छिपाना जानते हैं।⁴

आज टीनएजर्स अभिभावकों से दूर भागने लगे हैं। आस्ट्रेलिया के पेरेंटिंग विषयों पर लिखने वाले डॉ. जस्टिन कॉलसन कहते हैं "व्यवहार में बदलाव आना विकास की प्रक्रिया का अहम हिस्सा होता है।" जब बच्चे बड़े होते हैं तो वे माता-पिता की छाया से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। यह उनके लिए जरूरी भी होता है ताकि वे खुद

Anthology : The Research

जिम्मेदार बन सकें। अपनी सुरक्षा व अच्छे-बुरे का आभास उनके भीतर आ सके। लेकिन इसकी वजह जानकर उस पर काम करने की जरूरत है।⁵ जिसके लिए पहल अभिभावकों को करना ही पड़ेगा।

उत्कृष्ट अभिभावक/पालक बनने के लिए आवश्यक कदम

इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल सुरक्षा एवं बाल हित में अभिभावकों हेतु आवश्यक कदम बताये हैं जो निम्न हैं।

1. अभिभावकों को कुछ घरेलू नियम बनाना है और उनका पालन करना है जैसे:- सोने, खाने, मनोरंजन आदि का समय निश्चित करना है।
2. अभिभावकों को एक दूसरे के बनाये नियमों का पालन करना है और बच्चों से भी करवाना है।
3. बच्चों की आपसी लड़ाई को कभी बढ़ावा नहीं देना है।
4. बच्चों द्वारा कोई गलती करने पर उन्हें पहले समझें, फिर उन्हें सही व गलत दोनों पक्ष समझाना है। इससे बच्चों का विवेक जागृत होगा।
5. प्रेम और अनुशासन के बीच संतुलन स्थापित करना है।
6. बच्चों के सामने अभिभावकों को आपसी लड़ाई या मनमुटाव को प्रस्तुत नहीं करना है।
7. बच्चों से बिना सोचे समझे वादा नहीं करना है। सोच समझकर वादा करना है और उसे पूरा भी करना है।
8. भारत की गौरवमय संस्कृति और नैतिक मूल्यों की स्थापना करना है इसके लिए पर्व और त्यौहारों को बच्चों के साथ मनाना है।
9. बच्चों में सत्य, सदाचरण, शांति, प्रेम व अहिंसा की भावना विकसित करना है। इससे बच्चे का चरित्र बहुत मजबूत होगा।
10. बच्चों को मोबाइल अनावश्यक रूप से नहीं दें। यदि दें तो इसके अच्छे और बुरे परिणामों से बच्चों को अवगत कराना है।
11. बच्चों से आमने-सामने होकर बात करना। उनके बस्ते, कपड़े अलमारी की पूरी जानकारी रखना है। इससे अंतरंगता बढ़ती है।
12. घर में दो बच्चों की कभी भी आपस में तुलना नहीं करना है। क्योंकि तुलना से ईर्ष्या व अहंकार बढ़ता है।
13. बच्चों को दूसरे लोगों से मिलने जुलने प्रोत्साहित करें।
14. बच्चों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएँ नहीं करना है।
15. बच्चे की खूबी को पहचान कर उसी दिशा में कैरियर चुनने प्रोत्साहित करें।

16. सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों से संतुलित व्यवहार करना।

उत्कृष्ट पालक बनने में बाधाएँ जैसे-

1. बिखरता/टूटता हुआ परिवार
2. घरेलू अनुशासन का अभाव।
3. अभिभावकों की अति व्यस्तता के कारण बच्चों के साथ समय बिताने का अभाव।
4. टी.व्ही, मोबाइल, वीडियो और इंटरनेट पर पर्याप्त नियंत्रण ना होना।
5. अभिभावकों का अपनी ही संस्कृति और मूल्यों की गहराई और उसके प्रभाव का समझ ना होना।
6. बच्चों को समय ना देने के कारण अनावश्यक लाड़-प्यार दिखाना।
7. बच्चों की अति सुरक्षा करने का परिणाम उनमें आत्मविश्वास का अभाव।
8. बच्चों को बहुत अधिक चिंता दिखाने का परिणाम होता है बच्चों में निराशा व चिंता की भावना पैदा होना।
9. बच्चों से अति दक्षता की उम्मीद का परिणाम है बच्चों में असफल होने की भावना का विकास।
10. बच्चों को बहुत ढील देने का अर्थ है बच्चों में आक्रामक व हिंसक स्वभाव विकसित होना।

उत्कृष्ट अभिभावकों के गुण-

1. बच्चों से अत्यंत गहरा प्रेमभरा संबंध रखते हैं।
2. अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं।
3. आनंद व शांति का वातावरण परिवार में बनाये रखते हैं।
4. अपनी नैतिकता और मूल्यों भरे व्यवहार से बच्चों में नैतिकता और संस्कार देते हैं।
5. बच्चों की समस्याएँ पूरी गंभीरता से सुनते समझते और सुलझाते हैं।
6. बच्चों में विवेक जागृत करते हैं।

इस प्रकार बच्चे 80% बातें सीखते हैं अपने अभिभावकों के व्यवहार से और उन्हें देखकर। 20% बातें सीखते हैं अभिभावकों के उपदेशों से।⁶ अतः इन बातों को इसलिए भी याद रखना सबसे जरूरी है ताकि अभिभावक बच्चों के सामने उत्कृष्ट व्यवहार के उदाहरण पेश करें।

निष्कर्ष

आज बाल सुरक्षा आवश्यक है क्योंकि बच्चे समाज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अमूल्य धरोहर हैं। इनकी जीवनदशा, जीवन मूल्य अथवा जीवन की गुणवत्ता, समाज की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। यही सामाजिक विकास को मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है।⁷ 1992 में बाल अधिकार समझौते का अनुमोदन किया गया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित है। लैंगिक अपराधों

से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 पारित किया गया। अतः आज जरूरत इस बात की है कि अभिभावकों के साथ-साथ देश के हर नागरिक को बच्चों की सुरक्षा और उनके विकास की ओर ध्यान देना है तभी एक विकसित एवं समृद्ध राष्ट्र की कल्पना साकार हो सकेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. समाजशास्त्र : नई दिशाएँ, एस.एल.दोषी एवं पी. सी.जैन।
2. सरिता अंक 1332 अक्टूबर (द्वितीय) 2010 पेज.नं. 131
3. समाजकल्याण, मासिक पत्रिका नवंबर 2001 पेज नं. 42
4. दैनिक भास्कर, रायपुर सोमवार 08 अक्टूबर 2018
5. नई दुनिया 18 नवम्बर 2018
6. छत्तीसगढ़ राज्य, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, रायपुर (छ.ग.)
7. विधायनी - त्रैमासिक शोध पत्रिका म.प्र. विधानसभा सचिवालय
8. रचना-द्विमासिक पत्रिका, म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग एवं म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी का समवेत उपक्रम
9. समाजशास्त्र, एम.एल.गुप्ता, डी.डी. शर्मा पेज नं. 177